न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2662–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–4–13 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, खिरकिया जिला हरदा प्रकरण कमांक 15/अ–12/2012–13.

1– रामनिवास आत्मज पन्नालाल गौर
2– मनोहरलाल आत्मज पन्नालाल गौर
दोनों कृषक, निवासी ग्राम छीपावड
तहसील खिरकिया जिला हरदा .....आवेदकगण

विरूद्ध

प्रवीण कुमार आत्मज बद्रीनारायण अग्रवाल
निवासी खिरकिया जिला हरदा .....अनावेदक

श्री दिलीप मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नारायण सिंह सोलंकी, अभिभाषक,आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/8/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश 20–4–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, खिरकिया जिला हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम छीपाबड़ तहसील खिरकिया स्थित उसके स्वत्व व स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 756/2 रकबा 0.607 हेक्टेयर का सीमांकन कराना चाहता है । तहसीलदार द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन

पत्र राजस्व निरीक्षक को भेजा गया । राजस्व निरीक्षक, खिरकिया द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ–12/2012–13 दर्ज किया जाकर दिनांक 16–4–13 को सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश दिनांक 20–4–2013 पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष की भूमि की चतुःसीमा में अंतर है । यह भी कहा गया कि उभय पक्ष के मध्य वर्ष 1977 से विवाद प्रचलित है और इस दौरान भूमियों का विक्रय हुआ था या नहीं इसकी जांच राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि जिस भूमि का सीमांकन किया गया है, उसकी स्थिति नक्शे में स्पष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया ही नहीं जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा 80 डिसमिल पर कब्जा पाया गया है, जबकि अनावेदक द्वारा 65 डिसमिल पर कब्जा बताया जा रहा है । यह भी कहा गया कि मौके पर प्रश्नाधीन भूमि विद्यमान ही नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक है, क्योंकि उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रकिया अपनाई गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि दोनों भूमियों के बीच टूटकदार लाईन से बटांकन दर्ज होना दर्शाया जा रहा है, जबकि नक्शे में ऐसी स्थिति नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वाद प्रचलित होने से सीमांकन किया जाना उचित नहीं है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकर कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है । इसके अतिरिक्त अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का स्वतंत्र रूप से भूमिस्वामी है और नक्शे में उसकी भूमि स्वतंत्र रूप से दर्शाई गई है । अतः इस सम्बन्ध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि नक्शे में बटांकन दर्ज नही है । इस प्रकार

राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, खिरकिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2013 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर